(553)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकः प.18(36)नविवि / एनएएचपी / 2014पार्ट

जयपुर, दिनांकः 11 OCT 2017

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 31.05.2017 के द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के तहत प्रस्तावित योजनाओं हेतु नगरीय निकायों में धारा 90–ए की कार्यवाही 30 दिवस की निर्धारित अवधि में सम्पादित नही होने तथा भवन मानचित्र अनुमोदन में लग रहे समय को देखते हुए वर्तमान प्रक्रिया के विकल्प के रूप में भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए एम्पैनल्ड आर्कटेक्टस को अधिकृत किया गया एवं इस हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

आदेश के बिन्दु संख्या 1 के अनुसार, " विकासकर्ता द्वारा धारा 90–ए की कार्यवाही पूर्ण कर निकाय स्तर पर एकल पट्टा के प्रकरणों में पट्टा प्राप्त कर भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु संबधित निकाय में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत देय छूट के अतिरिक्त भवन विनियमों के प्रावधानानुसार आवश्यक शुल्क एवं अनुमोदन शुल्क (जॉच फीस) जमा करानी होगी।"

यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि विभागीय आदेश दिनाक 31.05.2017 तथा निम्न बिन्दुओं की अनुपालना सुनिश्चित की जावें:–

1. योजना कृषि भूमि पर प्रस्तावित होने की स्थिति में राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक परियोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत धारा 90–क के आदेश जारी हो गये हो एवं संबंधित नगरीय निकाय द्वारा एकल पट्टा मय साईट प्लान / ले–आउट प्लान अनुमोदित कर जारी किया गया हो।
2. नगरीय निकाय की अनुमोदित योजना अथवा इस का भाग पर प्रस्तावित होने की स्थिति में नगरीय निकाय द्वारा एकल पट्टा जारी किया गया हो।

11/10/17

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम